

फैक्ट सीट

क्र.सं.	विवरण	उत्तर
1	परियोजना का नाम	जनपद बागेश्वर में मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी 0 2 से कलियाबगड-गोगिनापानी तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य। लम्बाई 3.00 कि०मी०
2	प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल है० में। आरक्षित वन भूमि वन पंचायत भूमि सिविल सोगम भूमि कुल वन भूमि नाप भूमि कुल भूमि का योग	0.703 हैक्टेयर 0.000 हैक्टेयर 0.766 हैक्टेयर 1.469 हैक्टेयर 1.328 हैक्टेयर 2.797 हैक्टेयर
3	प्रस्तावक विभाग का नाम	लोक निर्माण विभाग
4	वन प्रभाग का नाम	बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
5	प्रस्ताव बाईडिंग किया गया है ?	हां
6	प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है ?	हां
7	क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भी गयी है ?	हां
8	क्या प्रारूप में बांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है?	हां
9	प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का धनत्व दर्शाया गया है ?	हां
10	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न है ?	हां
11	बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है ?	हां
12	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है ?	वृक्ष न्यूनतम है।
13	संरक्षण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है ?	हां
14	क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का धनत्व सही है ?	हां
15	क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है ?	हां
16	क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है?	हां
17	प्रस्तावित परियोजना के आस पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है ?	हां
18	क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ?	नहीं
19	प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है। यदि हां तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है ?	नहीं
20	क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में भरा गया है ?	हां

21	प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग को आगे निर्माण किया जाना है। (यदि पूर्व निर्मित मार्ग को आगे बढ़ाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें।)	कार्य नया स्वीकृत किया गया है।
22	क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंग से भरा गया है ?	हां
23	यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है ?	हां
24	क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है ?	नहीं
25	यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।	आवश्यकता नहीं है।
26	परियोजना निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें/ वैकल्पिक संरक्षण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं ?	हां
27	वैकल्पिक संरक्षणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय।)	प्रतिवेदन में विस्तृत विवरण दिया गया है।
28	लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है ? (5 है0 से अधिक के प्रकरणों पर लागू होगा)	लागू नहीं होता है।
29	मानचित्र व बारचार्ट में एक रूपता है ?	हां
30	मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है?	हां
31	राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र संलग्न है ?	हां
32	क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियां मूल में संलग्न है। यदि छाया प्रतियां संलग्न की गयी है। तो क्या वे सत्यापित है ?	हां
33	यदि वन भूमि लीज पर दी जाती है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है ?	लागू नहीं होता है।
34	वित्तीय / प्रशासकीय स्वीकृति संलग्न है ?	हां
35	क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है ?	हां
36	क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न है ?	हां

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फॉर्म सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र / सूचनायें संलग्न कर दी गयी हैं।

(संजय कुमार पाण्डे)
अधिसूचक अधिकारी
प्रान्तीय सड़क विभाग
बा. प्रेश्वर

(हिमांशु बागेश्वरी)
प्रमाणित वनाधिकारी
बा. प्रेश्वर वन प्रभाग
बा. प्रेश्वर